

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर  
क्रमांक- एफ.3(7)(1)स्था/भूजवि/2017/387

दिनांक:- 15/12/2017

-:कार्यालय आदेश:-

श्री सुमेर सिंह, वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, भू जल विभाग, उदयपुर ने दिनांक 01.11.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01.02.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है ।

श्री सुमेर सिंह, वरिष्ठ सहायक जिनकी जन्मतिथी 01.08.1958 है व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 16.07.1984 से 15 वर्ष की योग्यात्मक सेवा पूर्ण कर ली है। अतः राजस्थान सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के तहत श्री सुमेर सिंह, वरिष्ठ सहायक को दिनांक 01.02.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुमेर सिंह, वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध आज तक:

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सूरजभानु सिंह)  
मुख्य अभियन्ता

भू जल विभाग, जोधपुर

दिनांक:- 15/12/17

क्रमांक- एफ.3(7)(1)स्था/भूजवि/2017/387

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वित्तीय सलाहकार, भू जल विभाग, जोधपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर।
4. कोषाधिकारी, उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, भू जल विभाग, उदयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, भू जल विभाग, उदयपुर।
7. श्री सुमेर सिंह, वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, भू जल विभाग, उदयपुर
8. व्यक्तिगत पत्रावली ।
9. पेंशन शाखा/ जांच शाखा/डीपीसी शाखा / ए.पी.ए. शाखा /स्वीकृत पद शाखा।
10. नोडल अधिकारी विभागीय वेबसाईट एवं वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक, (डी.एस.पी.सी.) भू जल विभाग, जोधपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली

(सुनील शर्मा)

अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक (प्रथम) कृते मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर

Sh S. Mehta  
2/12/17  
20/11/17